



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

550 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:- 08.09.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद पुलिस को वृहद एवम् सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 201/22 धारा 380 भादवि में प्रकश में आया अभियुक्त दिवाकर पुत्र बालकराम निवासी कम्पनीपुरवा थाना कोतवाली देहात सीतापुर को तोखीपुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके कब्जे से 550 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 345/22 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का नाम/पता- दिवाकर पुत्र बालकराम निवासी कम्पनीपुरवा थाना कोतवाली देहात सीतापुर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 345/22 धारा 8/20 N.D.P.S. एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

बरामदगी:- 550 ग्राम अवैध गांजा

पुलिस टीम कोतवाली देहात:-

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र बहादुर सिंह
2. का0 वीरेन्द्र सोनकर

अपराधिक इतिहास अभि0 दिवाकर:-

1. मु0अ0सं0 883/19 धारा धारा 380/457/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 201/22 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 345/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली देहात सीतापुर।

